न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42 / 2025

अपीलांट–	***बनाम***	रेस्पोडेंट–
काली पुत्री कोहलाराम जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर पटवार हल्का चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. कोहलाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर पटवार हल्का चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1126 दिनांक 17.10.2024 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 09.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम प्रतापनगर में खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टेयर किस्म बा0 सो0 में से 0–1335 हैक्टैयर भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 17.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा प्रताप नगर में खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टैयर भूमि के खातेदारान कोहलाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई साकिन प्रताप नगर तहसील धोरीमन्ना ने दिनांक 16.10.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रा[illegible] प्रस्तुत कर 0–1335 हैक्टैयर भूमि बाबत मालिकाना [illegible] के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा [illegible] किया तथा प्रकट [illegible] कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क[illegible] धारा 55 के अधीन [illegible] पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0–1335 हैक्टैयर भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1126 दिनांक 17.10.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का चैनपुरा के खेत खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें अपीलांट बाहमी बंटवाडा द्वारा अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करता आ रहा है वर्ष 2020 में उतरदाता संख्या 02 कोहलाराम की मानसिक स्थिति खराब होने पर भूमाफिया भूमि खुर्दबुर्द नहीं करे इस हेतु घोषणा का दावा कर साथ में दिनांक 09.07.2020 को स्थगन जारी करवाया जिसे न्यायालय ने दिनांक 28.06.2022 को ताफैसला कन्फर्म कर दिया जो आज दिन तक प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार को दी गई इसके बावजूद कुछ भूमाफिया ने उतरदाता संख्या 02 को पेंशन के नाम पर बहला कर तहसील लाकर खाली स्टाम्प पर अंगूठे कर दिये। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 02 को धोखे से अंगूठा करवाया एवं अपीलांट के हिस्से की भूमि को बिना बताये खेत में पूर्व मे रास्ता होने के बावजूद दूसरा रास्ता प्रस्तावित कर खेत के टूकडें करते हुए फिर से स्थगन के बावजूद रास्ता प्रस्तावित किया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अवैधानिक होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया पूर्व सरपंच ने अपीलांट को धोखे मे रखकर पेशन हेतु स्टाम्प लेकर प्रार्थना–पत्र पर अंगूठे करवाकर 18 दिना बाद तहसील हाजा मे पटवारी ने पेश कर अवैधानिक रूप से आदेश करवा लिया। उक्त अंगूठे 29.09.2024 को किये आवेदन 16.10.2024 को पटवारी ने पेश किया तथा बिना खातेदार के उपस्थित हुए तहसीलदार ने आदेश पारित कर उसके आधार पर नामान्तरकरण पारित करवा दिया तथा नामान्तरकरण पारित होने के बाद जब अपीलांट के पुत्री ने जमाबंदी देखी तो अवैधानिक रास्तो की जानकारी होने पर दिनांक 30.07.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. रेस्पो संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि रेस्पों संख्या 02 की आयु 85 वर्ष होने से पडोसी व फर्जी भूमि हड़पने वाले भूमाफिया मेरे भाई के पुत्रों ने धोखा धड़ी से रास्ता के रूप मे समर्पण करवाई जिससे कोई भी नहीं जुड़ रहा हैं और न ही मैं कभी तहसील गया इसलिए उक्त समर्पण के विरूद्ध पेश अपील स्वीकार की जानी न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार करने का आदेश फरमावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 02 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा प्रताप नगर में खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टैयर भूमि के खातेदारान कोहलाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई साकिन प्रताप नगर तहसील धोरीमन्ना ने दिनांक 16.10.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–1335 हैक्टैयर भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान [illegible] पटवारी चैनपुरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्हों[illegible] भूमि में से 0–1335 हैक्टैयर भूमि समर्पण का [illegible] उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का [illegible]न नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1126 दिनांक 17.10.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का चैनपुरा के खेत खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें अपीलांट बाहमी बंटवाडा द्वारा अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करता आ रहा है वर्ष 2020 में उतरदाता संख्या 02 कोहलाराम की मानसिक स्थिति खराब होने पर भूमाफिया भूमि खुर्दबुर्द नहीं करे इस हेतु घोषणा का दावा कर साथ में दिनांक 09.07.2020 को स्थगन जारी करवाया जिसे न्यायालय ने दिनांक 28.06.2022 को ताफैसला कन्फर्म कर दिया जो आज दिन तक प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार को दी गई इसके बावजूद कुछ भूमाफिया ने उतरदाता संख्या 02 को पेंशन के नाम पर बहला कर तहसील लाकर खाली स्टाम्प पर अंगूठे कर दिये। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 02 को धोखे से अंगूठा करवाया एवं अपीलांट के हिस्से में आई भूमि को बिना बताये खेत में पूर्व मे रास्ता होने के बावजूद दूसरे सेढ़े पर खेत के टूकडें करते हुए फिर से स्थगन के बावजूद रास्ता करवा दिया जो निरस्त योग्य है। रेस्पो संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पों संख्या 02 की आयु 85 वर्ष होने से पडोसी व फर्जी भूमि हड़पने वाले भूमाफिया मेरे भाई के पुत्रों ने धोखा धड़ी से रास्ता के रूप मे समर्पण करवाई जिससे कोई भी नहीं जुड़ रहा हैं और न ही मैं कभी तहसील गया इसलिए उक्त समर्पण के विरूद्ध पेश अपील स्वीकार की जानी न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार करने का आदेश फरमावे। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा प्रताप नगर में खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टैयर भूमि किस्म बा0 सो0 में से 0–1335 हैक्टैयर समर्पण की गई। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई जिसमें उपखण्ड न्यायालय के प्र[illegible] 38 / 2020 अनवान मीरा बनाम कोहलाराम व अन्[illegible] किया जाकर उक्त आवेदित में उल्लेखित ख[illegible] 312 / 4 रकबा क्रमशः 0–07, 11–02, 12–18 बीघा भूमि में दिनांक 09[illegible].2020 को मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाडमेर

में वर्णित खसरा नंबर 312/4 मे उभयपक्ष द्वारा स्थगन से मुक्त करने की इस्तदुआ पर दिनांक 28.06.2022 को खसरा नंबर 312/4 को स्थगन से मुक्त कर शेष आराजी खसरा नंबर 311 व 312 मे किसी तरह से अंतरण/बेचान/रहन/हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.07.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर आवेदन को फैसल शुमार किया गया। चुंकि उक्त आवेदन के संबध में मूल वाद संख्या 31/2020 मे मूल वाद संख्या 31/2020 न्यायालय हाजा मे वास्ते बहस हेतु विचारधीन होने से उक्त आराजी मे जारी स्थगन दिनांक 09.07.2020 से आज दिनांक तक अनवरत जारी है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर मौजा प्रतापनगर पटवार मण्डल चैनपुरा के खं.नं. 312 मे स्थगन होने के बावजूद समर्पण आदेश पारित किया गया जिससे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट्स तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम प्रतापनगर में खसरा नंबर 312 रकबा 1–7968 हैक्टैयर किस्म बा0 सो0 में से 0–1335 हैक्टैयर भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांक 1126 दिनांक 17.10.2024 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:15 IST
Reason: SelfAttested